

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2025—फाल्गुन 1, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01)

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 4 की उप-धारा (2) सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109 ए के उप-नियम (1) के खण्ड (क) तथा उप-नियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुसरण में तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2017-1-पांच-(01) दिनांक 14 जनवरी, 2020 के सिवाय, इस विभाग की, इस निमित्त जारी, समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, उसके कॉलम (3) में उल्लिखित पदनाम के साथ, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी उक्त नियमों के नियम 109 ए के उप-नियम (1) के खण्ड (क) तथा उप-नियम (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अपील प्राधिकारी को प्रदत्त समस्त शक्तियों एवं अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारिया का नाम	अधिकारी का पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	अपर आयुक्त, राज्य कर (अपील) की क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर.के.सलूजा	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, राज्य कर, इन्दौर परिक्षेत्र-01	इन्दौर परिक्षेत्र-01 एवं जबलपुर परिक्षेत्र
2.	श्री सपन कुमार सोनटके	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, राज्य कर, इन्दौर परिक्षेत्र-02 एवं प्रभारी परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, राज्य कर, ग्वालियर परिक्षेत्र	इन्दौर परिक्षेत्र-02 एवं ग्वालियर परिक्षेत्र
3.	श्री प्रदीप कुमार दुबे	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, राज्य कर, भोपाल परिक्षेत्र	भोपाल परिक्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्र. एफ ए 3-13-2017-1-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2017-1-पांच (1), दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

No. FA3-13-2017-1-V (01)

Bhopal, the 20th February 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No.19 of 2017) read with clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule (2) of rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and in pursuance of this department's Notification No. F A 3-13-2017-1-V- (01), Dated 14th January, 2020 and in supersession of this department's all previous notifications issued in this behalf except the Notification No. F A 3-13-2017-1-V-(01) dated 14th January, 2020 of this department, the State Government, hereby, appoints the officers mentioned in column (2) of the table given below with his designation mentioned in column (3) thereof as Appellate Authority for the area (territorial jurisdiction) specified in column (4). The officer mentioned in column (2) of the table shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority mentioned in clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule (2) of rule 109A of the said rules, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Officers	Designation and present posting of the Officer	Territorial jurisdiction area of Additional Commissioner (Appeals) of State Tax
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri R.K. Saluja	Zonal Additional Commissioner of State Tax, Indore Zone-01	Indore Zone-01 and Jabalpur Zone
2.	Shri Sapan Kumar Sontake	Zonal Additional Commissioner of State Tax, Indore Zone-02 and In-charge Zonal Additional Commissioner of State Tax, Gwalior Zone	Indore Zone - 02 and Gwalior Zone
3.	Shri Pradeep Kumar Dubey	Zonal Additional Commissioner of State Tax, Bhopal Zone	Bhopal Zone

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.